शोध प्रतिवेदन

"उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता।"

निर्देशिका
श्रीमती आरती गुप्ता
(व्याख्याता)

प्रस्तुतकर्त्री
रेणू वेदी
(एम.एड. छात्रा)

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर(राजस्थान)
(सत्र 2015-17)

1 प्रस्तावना

शोध समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात शोध समस्या को संपूर्ण रूप से जानने एवं समझने के लिए समग्र शोध अध्ययन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। अतः शोध प्रतिवेदन के इस परिच्छेद में शोधकर्त्री द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव तथा आगामी शोध कार्य हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं तथा इस शोध कार्य द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि इसने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

2 समस्या का परिचय

उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों की महत्ती आवश्यकता होती है तथा उपभोक्ता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता का होना भी आवश्यक है। जागरूकता के द्वारा उपभोक्ता के उद्देश्यों व लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता के

अधिकारों से ही मानव में जागरूकता उत्पन्न होती है। इसलिये सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता सम्बन्धी जानकारी होना आवश्यक है।

लेकिन वर्तमान समय में उपभोक्ता भौतिक युग के विज्ञापनों से भ्रमित हो जाता है एवं स्वयं के अधिकारों को समझ ही नहीं पाता है, तथा उपभोक्ता सम्बन्धी ज्ञान का समुचित उपयोग नहीं कर पाता है। उपभोक्ताओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो इस हेतु उन्हें अपने अधिकारों को जानना आवश्यक है।

शोधकर्त्री ने स्वयं यह अनुभव किया कि उपभोक्ता के रूप में जानकारी या जागरूकता से वह कई परेशानियों से बच सकते हैं। अतः सभी स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का शिक्षा में प्रयोग हो व सभी को उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, इसकी आज बहुत आवश्यकता है।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री ने कई प्रश्नों व कठिनाइयों का सामना करते हुए यह सोचा कि वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगाया जाए ताकि पता लगे सके कि उपभोक्ता वर्तमान समय में किस सीमा तक स्वयं के अधिकारों को जानता है एवं उसका प्रयोग अपने जीवन में करता है या नहीं, तथा इसका यह अध्ययन उपभोक्ता की जागरूकता को बढ़ाने में सहायक हो सके।

3 समस्या कथन

शोधकर्त्री राजनीति विज्ञान व इतिहास विषय की विद्यार्थी रही है। अपनी शिक्षा के दौरान एवं वर्तमान समय की आवश्यकता के कारण तथा वर्तमान समय में उपभोक्ता की जागरूकता का पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया गया है, अतः अनुसंधानकर्त्री द्वारा वर्तमान में जरूरत के तथ्यों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने शोधकार्य के लिए निम्न विषय को उपयुक्त समझा–

''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता।''

"Awareness towards Consumer Protection Rights among Students of Senior Secondarry Level"

यह प्रकरण इसलिए लिया क्योंकि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार का महत्त्व बढ़ गया है, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक है या नहीं।

4 अध्ययन का औचित्य

प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता होता है और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों की उचित जानकारी हो। शोधार्थी के लिए समस्या का विषय तब बना जब देखा कि कक्षा 11 वीं में पढने वाला राजेश एक दिन बाजार से सामान खरीदकर घर आया। जब वह घर आया तब उसकी माँ ने देखा की सामान का तौल जितना मंगवाया था उससे कम है तथा कीमत भी पूरी ली गई थी तो राजेश को अपनी मां की डांट सुननी पड़ी। यदि राजेश जैसे अन्य विद्यार्थियों को भी उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों की शिक्षा प्रदान की जाए तो देश में फैल रही मुनाफाखोरी, कालाबाजारी आदि को कम किया जा सकता है तथा शिक्षा ही वह एकमात्र साधन है जो विद्यार्थी को उसके अधिकारों से परिचित करवाती है। इससे शोषण से मुक्ति मिलती है। कई बार विद्यार्थी बाजार से सामान बिना जाँच पडताल किए ही खरीद लेते है। इसके साथ ही विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढा – चढाकर दिखाते है। जिसके कारण कोई भी विद्यार्थी जो उपभोक्ता है। भ्रमित होकर कम गुणवता वाली वस्तुएँ खरीद लेता है। ऐसे में उन्हे गुणवता की सही परख नही हो पाती है। अतः शिक्षा विद्यार्थी में सही गुणवत्ता की पहचान करने तथा वस्तु की जाँच करने की क्षमता विकसित करती है।

किसी भी शोधकार्य को पूर्ण करने के लिए शोध प्रश्न आवश्यक है। इस शोध हेतु निम्न शोध प्रश्न बनाए गए हैं–

1. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारे में क्या समझते हैं?
2. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता की उपयागिता क्या है?

3. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता क्यों आवश्यक है?

5 तकनीकी शब्दों की व्याख्या :–

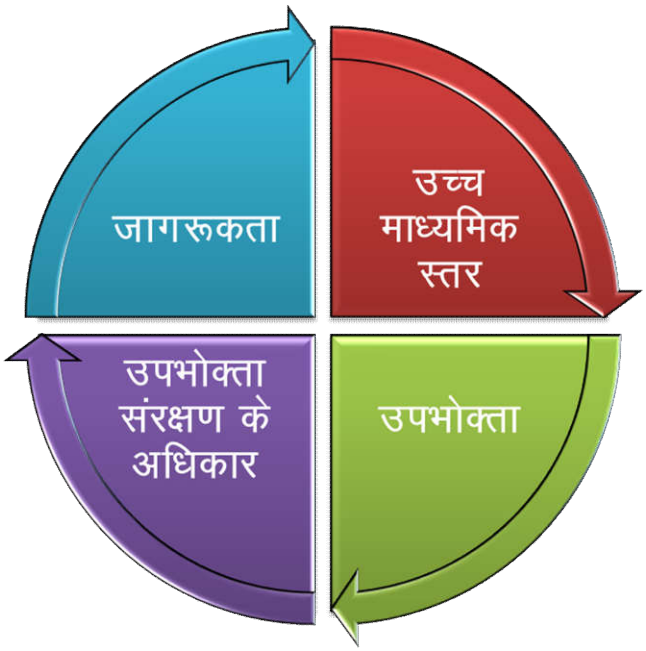

1.3.1 उच्च माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत कक्षा 11वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होते हैं अर्थात् 10वीं के पश्चात् दोनों कक्षाओं को उच्च माध्यमिक स्तर में रखा गया है।

1.3.2 उपभोक्ता उपभोक्ता से तात्पर्य वह व्यक्ति जो प्रतिफल या भुगतान करके या उसके भुगतान का वचन देकर या किसी अस्थगित पद्धति के अधीन कोई वस्तु या सेवाओं को किराए पर लेता है या उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है।

1.3.3 उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों से तात्पर्य उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए तथा उपभोक्ता एवं अन्य प्राधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करने हेतु एक अधिनियम बनाया जिसमें उपभोक्ता के संरक्षण के अधिकार दिए गए है।

1.3.4 जागरूकता निश्चित जानकारी अथवा बिना सीधे ध्यान के किसी कर्म या स्थिति की जागरूक संचेतना की अवस्था।

6 शोध उद्देश्य

अनुसंधानकर्त्री ने अपने शोधकार्य हेतु निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किए हैं–

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के विद्यार्थियों की उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगाना।
2. उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के प्रति कक्षा 11 के छात्र – छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।
3. उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत चुनाव के अधिकार के प्रति कक्षा 11 के छात्र व छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।
4. उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध अधिकार के प्रति कक्षा 11 के छात्र व छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।
5. उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकार के प्रति कक्षा 11 के छात्र व छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

7 शोध परिकल्पनाएँ

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत चुनाव के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

8 परिसीमन

शोध का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक होता है। साधनों की उपयुक्तता एवं समय को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के परिसीमन किया गया। परिसीमन किसी भी समस्या के समाधान हेतु किए गए छोटे से छोटे विभाजन को कहा जाता है।

(1) **क्षेत्रवार–** प्रस्तुत अनुसंधान कार्य को जयपुर शहर तक सीमित रखा गया है।

(2) **स्तरवार–** प्रस्तुत अनुसंधान के लिए उच्च माध्यमिक स्तर की 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लिया गया है।

(3) **विद्यालयवार–** इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय लिये गये है।

9 न्यादर्श

किसी भी शोध में जनसंख्या का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाई को चुना जाता है। चुनने की इस क्रिया को न्यादर्शन तथा चुनी हुई इकाईयों को न्यादर्श कहते हैं।

संक्षेप में न्यादर्श समूचे इकाई समूह में चुनी हुई इकाईयों का एक ऐसा समूह है जो समूचे इकाई समूह का प्रतिनिधित्व करें।

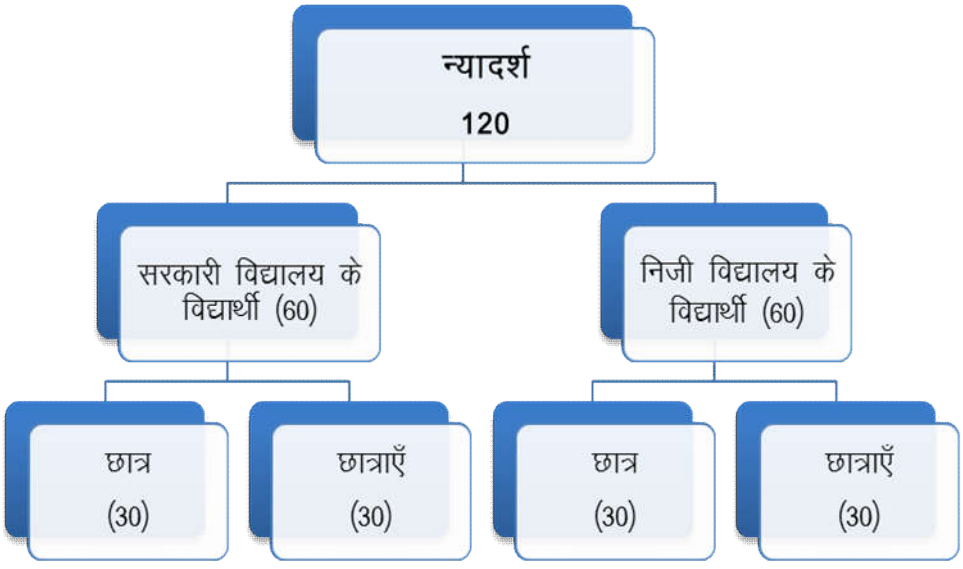

10 शोध विधि

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित जागरूकता का पता लगाया जा सकता है।

11 उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित प्रश्नावली (उपकरण) का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों की उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगाने के लिए उपकरण बनाया गया।

12 सांख्यिकी प्रविधि

शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी अनुमानों का मुख्य उद्देश्य एक न्यादर्श से जनसंख्या के बारे में सामान्यीकरण का ज्ञान प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री ने तथ्यों का विभिन्न प्रविधियों के संकलन के पश्चात् व्याख्या विश्लेषण व निष्कर्ष के लिए तालिका का प्रयोग किया गया तथा गणना के लिए सी.आर. परीक्षण को प्रयोग में लिया गया है।

5.13 परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष

1. **उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।**

   निष्कर्ष :– उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है जिसमें यह पाया गया कि सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अन्तर नहीं है।

2. **उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।**

   निष्कर्ष :– उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के प्रति

जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें यह पाया गया कि के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता में अन्तर नहीं है।

3. **उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत चुनाव के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।**

   निष्कर्ष :– उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत चुनाव के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत चुनाव के अधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर है।

4. **उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।**

   निष्कर्ष :– उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में अन्तर नहीं है।

5. **उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।**

   निष्कर्ष :– उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध अधिकार के प्रति जागरूकता अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत शोषण के विरूद्ध अधिकार के प्रति जागरूकता में अन्तर है।

14 सुझाव

निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद शोधकर्त्री द्वारा स्वयं की समझ अध्ययन व शिक्षकों एवं विषय विशेषज्ञों से राय के पश्चात् उपरोक्त समस्या के सन्दर्भ में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गये–

➢ विद्यार्थियों के लिए सुझाव

शोध के निष्कर्ष बताते है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को अपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों सम्बन्धी जागरूकता को समय अनुसार बढ़ाते रहना चाहिये। अतः विद्यार्थियों के लिए सुझाव है कि विद्यार्थी एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक रहे क्योंकि बिना जागरूकता के अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त नहीं किये जा सकते है। अतः विद्यार्थियों को वर्तमान में नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति ओर अधिक जागरूक होने की महत्ती आवश्यकता है।

➢ शिक्षकों के लिए सुझाव

शोध के निष्कर्ष बताते है कि विद्यालयों में समय समय पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता के विषय में अध्ययन होना चाहिये। अतः शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त सुझाव यह होगा कि शिक्षा स्वयं जागरूक रहे एवं स्वयं की जागरूकता को सुनिश्चित ढ़ंग से बढ़ाते हुए वह विद्यार्थियों व अन्य व्यक्तियों की जागरूकता बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें।

➢ पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए सुझाव

प्रस्तुत शोध के पश्चात् सुझाव के रूप में पाठ्यक्रम निर्माताओं से निवेदन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता व विकास एवं उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल की जाकर सभी स्तरों पर शिक्षण के रूप में प्रयोग में लाई जायें।

➢ आम उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

सभी उपभोक्ताओं को शोध अध्ययन के बाद यही सुझाव दिया जाता है कि स्वयं को हर समय एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में पेश करें, अर्थात् उपभोक्ता सम्बन्धी जानकारी समय–समय पर लेते रहे।

15 शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगाकर उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार को बल मिला है एवं एक उपभोक्ता के लिए यह शोध **''जागो ग्राहक जागो''** के नवीन विचार एवं उपभोक्ता आन्दोलन के रूप में सामने आयेगा क्योंकि यह शोध जागरूकता का पता लगाकर ओर अधिक जागरूक होने के लिए तैयार करता है। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष तथा सुझावों से निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ निकाले जा सकते है।

➢ विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

विद्यार्थी शोध कार्य से अवगत होने के पश्चात् उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृति में वृद्धि कर पायेंगे साथ ही वर्तमान समय में बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में उपभोक्ता सम्बन्धी नवीन एवं उपयोगी सम्प्रत्यों को जानने के लिए उत्साहित होगें ओर वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में स्वयं को एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में तैयार कर सकेंगे।

➢ शिक्षकों के लिए शैक्षिक निहितार्थ

शोधकार्य के परिणामों से अवगत होने के बाद शिक्षकों में सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न होगी। शिक्षक समयानुरूप उपभोक्ता सम्बन्धी नवीनतम् जानकारियाँ प्राप्त करते हुए शिक्षण को प्रभावी बना सकेंगे। साथ ही शिक्षक विद्यार्थियों में उपभोक्ता जागरूकता सम्बन्धी जिज्ञासा व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराने का प्रयास करेगें।

➢ पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम निर्माताओं में एक नवीन सोच बनेगी एवं उपभोक्ताओं से सम्बन्धित व उपभोक्ता की जिज्ञासाओं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माता अपने पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की

रूचि, योग्यता, जिज्ञासा एवं आवश्यकताओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर प्रभावी पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे।

- **आम उपभोक्ताओं के लिए शैक्षिक निहितार्थ**

आम उपभोक्ताओं के लिए यह शोध सभी उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे कि सभी उपभोक्ता जागरूक होकर सफल हो सकें।

16 भावी शोध हेतु सुझाव

1. प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक स्तर पर जागरूकता का पता लगाया गया है इसका विकास भी किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य एक सर्वेक्षण विधि के द्वारा पूर्ण किया गया है विकास करके इसका प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध विषय पर ग्रामीण और शहरी छात्र–छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध विषय पर अध्ययन राज्य स्तर, केन्द्र स्तर या बड़े न्यादर्श पर भी किया जा सकता हैं।
5. प्रस्तुत शोध विषय पर महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत शोध विषय पर शिक्षक महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
7. प्रस्तुत शोध उच्च माध्यमिक स्तर पर किया गया है यह माध्यमिक स्तर पर भी किया जा सकता है।
8. प्रस्तुत शोध विषय पर अध्ययन सेवारत शिक्षकों एवं सेवापूर्ण शिक्षकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता हे।
9. प्रस्तुत शोध विषय पर शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों पर अध्ययन किया जा सकता है।
10. प्रस्तुत शोध विषय को विज्ञापन से जोड़कर भी शोध कार्य किया जा सकता है।

11. शोधकर्त्री की पारिवारिक समस्या, समय, शक्ति एवं उपयुक्त साधनों के अभाव में प्रस्तुत शोध कार्य सीमित क्षेत्र एंव कम न्यादर्श संख्या पर सम्पन्न हो सका है, जिससे अधिक व्यापक एवं उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सके है अतः भविष्य में इसी विषय को विकास से जोड़कर अधिक विस्तृत एवं अधिक न्यादर्श संख्या पर प्रयोगात्मक शोधकार्य किया जा सकता है।

17 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद शोध के प्रमुख लक्ष्यों, उद्देश्यों शोध आकल्पों एवं प्राप्त की गई मुख्य उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। शोधकर्त्री यह आशा करती है कि यह शोध इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा स्पद होगा व उपभोक्ता जागरूकता व विकास सम्बन्धी प्रयोगात्मक कार्य इस क्षेत्र में सम्पन्न हो संकेगे यह शोध उपभोक्ताओं की जागरूकता को जारी रखते हुए विकास की ओर अग्रसर करते हुए शिक्षा जगत को लाभान्वित करेगा एवं इसके आधार पर नवीन शोध कार्य सम्पन्न होंगे।

अतः ''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' सम्बन्धी शोध विषय वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए नया एवं बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। शोधकर्त्री को पूरा विश्वास है कि यह एक नया एवं उपभोक्ताओं की जागरूकता सम्बन्धी अनुठा अध्ययन है। इसके परिणाम दीर्घकालीन एवं काफी लाभदायक होंगे।